



UPLK010008342024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र वाद सं0 121 / 2024

सरकार

बनाम

मोहित यादव उर्फ शोभित

अ0सं0 470 / 2023

धारा-363,366 भा0द0सं0

धारा 3(2)V एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-चिनहट, लखनऊ ।

03-05-2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त मोहित यादव उर्फ शोभित जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366 भा0द0सं0 धारा 3(2)V एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 17-05-2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ ।



UPLK010008342024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 121 / 2024

सरकार

बनाम

मोहित यादव उर्फ शोभित

अ0सं0 470 / 2023

धारा-363,366 भा0द0सं0

धारा 3(2)V एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-चिनहट, लखनऊ ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्वारा आप अभियुक्त मोहित यादव उर्फ शोभित को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ

प्रथम: यह कि दिनांक 27.10.2023 समय रात में लगभग 15.30 बजे, थाना चिनहट जिला लखनऊ सीमान्तगत शंकरपुरी कालोनी से आप अभियुक्त मोहित यादव उर्फ शोभित द्वारा वादिनी मुकदमा सरोजनी की नाबालिग पुत्री सलोनी कनौजिया को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से संरक्षक की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर व्यपहरण किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा-363 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय:—यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त मोहित यादव उर्फ शोभित द्वारा वादिनी मुकदमा सरोजनी की नाबालिग पुत्री सलोनी कनौजिया को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से व्यपहृत किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा-366 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय:—यह कि उक्त दिनांक, तिथि व समय पर आप अभियुक्त मोहित यादव उर्फ शोभित द्वारा वादिनी मुकदमा सरोजनी की नाबालिग पुत्री सलोनी कनौजिया (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से संरक्षक की सहमति के बिना अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहृत किया, जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा-3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)

दिनांक: 03-05-2024

विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)

दिनांक: 03-05-2024

विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085